

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ-४/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2023-24/

दिनांक : २५-०५-२०२३

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा-१/ब.घो.सं. 11/2022 जयपुर, दिनांक : 17.04.2023 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022-23 के घोषणा संख्या 11 के अनुसरण में निम्नांकित 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सू-डाईस कोड	क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालय का नाम
1	BUNDI	K.PATAN	8230209501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BORDAMAL (495713)
2	BUNDI	TALERA	8230402401	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANWARPURA (470794)

शर्त :-

- विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2023-24 से प्रारम्भ होगा।
- स्वीकृति के वर्ष कक्षा 09, 10 को एक साथ प्रारम्भ किया जावेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा-11 एवं 12 प्रारम्भ की जा सकेगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-गा को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-१ व लेवल-२ के ऐसे अध्यापक जिनका ८ डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड-गा लेवल-१ व लेवल-२ के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में ३ बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक ८ डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदवर्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भाँति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से किया जायेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐछिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संघर्ष में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संघर्ष में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व गृ-डार्इस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबाड़, एम.पी. एल.ए.डी., एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

h.c.
(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.सी.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : २५-०५-२०२३

क्रमांक : शिविर—मा/माध्य/अ-४/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2023-24/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग, जयपुर को प्रासांगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वितीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, बून्दी।
12. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)—माध्यमिक, बून्दी।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, के.पाटन/तालेडा।
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन—एडी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
15. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-१ को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

(प्रमिली)
उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर